तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
02/12/2020	पत्रावली पेश। प्रार्थीगण वकील उपस्थित। पत्रावली वास्ते जवाब प्रार्थनापत्र हेतु न्यायहित में अंतिम अवसर दिया जाकर दि० 16/12/2020 को पेश हो।
16/12/2020	पत्रावली पेश। प्रार्थीगण वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण को जवाब हेतु अंतिम अवसर देने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण स्वयं या अधिवक्ता उपस्थित नहीं। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर अप्रार्थीगण को ex-party किया जाता है। अप्रार्थीगण का जवाब प्रस्तुत नहीं होने से व ex-party करने के पश्चात् पत्रावली वास्ते बहस दि० 23/12/2020 को पेश हो।
23/12/2020	पत्रावली पेश। प्रार्थीगण वकील उपस्थित। प्रार्थीगण वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश दि० 28/12/2020 को पेश हो।
28/12/2020	पत्रावली पेश। प्रार्थीगण वकील उपस्थित। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त आराजी में वादीगण व प्रतिवादीगण का आधा आधा हक व हिस्सा है तथा वादीगण का मौखिक बंटवारा के अनुसार खसरा नं. 580 पर कब्जा काश्त है तथा वादीगण खसरा नं. 580 पर आने जाने हेतु खसरा नं. 579 के उत्तर दिशा रास्ता रखा हुवा है, इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण

रा.मु.जो.

continue

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

के हक में है, एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के हक में है। यदि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को अपने कब्जा काश्त खेत पर आने जाने से रोक दिया जावे तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। अतः मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा प्रार्थीगण अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति को ध्यान में रखते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा २१२ RT Act का प्रार्थीगण के पक्ष में एवं स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरुद्ध राजस्व मूल वाद के विचारण होकर एवं निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि वादग्रस्त आराजी में खसरा नं. 579 के नं. 580 तक आने जाने हेतु उत्तर दिशा में रखा गया रास्ता अप्रार्थीगण नहीं रोके न ही रास्ता को बाधित करे, इस बाबत मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 28/12/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/12/2020

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)